

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

एफ.3(4)आ.प्र.एवं सहा./स्था./2012/ 3222-26

जयपुर, दिनांक 24/02/2022

प्रशासनिक स्वीकृति

राज्य के समस्त जिलों के लिए जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेण्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सुदृढीकृत किये जाने, विभागीय वेबपोर्टल पर सूचनाओं को अपलोड किए जाने, विभिन्न आपदाओं से संबंधित सूचनाएं ऑनलाइन किए जाने एवं ऑनलाइन बजट मांग आदि हेतु एजेन्सी के माध्यम से राज्य के 33 जिलों में 01-01 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर रखे जाने की संविदा सेवाओं की अवधि दिनांक 01.03.2022 से 28.03.2023 तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. यह स्वीकृति वित्त (बजट) विभाग के परिपत्र दिनांक 01.05.2014 में अंकित शर्तों के अधीन होगी।
2. वित्त जी एण्ड टी विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 व स्पष्टीकरण दिनांक 14.11.2018 के दिशा-निर्देश एवं आर.टी.टी.पी अधिनियम 2012/आर.टी.टी.पी. नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त पर होने वाला व्यय निम्न मद से प्रामाणित होगा :-

2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

01- सूखा

800- अन्य व्यय

(03)- (राहत कार्यों पर व्यय)

(07)- [प्रशिक्षण-व्यय]

29- प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय

यह स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति संख्या 332200111 दिनांक 15.02.2022 के अनुसरण में जारी की जा रही है।

(कल्पना अग्रवाल)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
2. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
5. लेखा शाखा (मुगतान), आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।

संयुक्त शासन सचिव

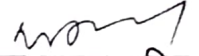
राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

एफ.3(4)आ.प्र.एवं सहा./स्था./2012/3299-04

जयपुर, दिनांक 28/02/22

संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति

विभागीय प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक एफ 3(4)आ.प्र.एवं सहा./स्था./2012/3222-26 दिनांक 24.02.2022 में राज्य के 33 जिलों में 01-01 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर रखे जाने की संविदा सेवाओं की अवधि दिनांक 01.03.2022 से 28.03.2023 तक के स्थान पर दिनांक 01.03.2022 से 28.02.2023 तक पढ़ा जावे।


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
5. लेखा शाखा (भुगतान), आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।


संयुक्त शासन सचिव

कार्यालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर (राज०)

(आपदा पबन्धान सहायता एवं नागरिक सुरक्षा)

सहायता अनुभाग स.मा. नं 12 कलेक्ट्रेट स.मा.

oicreliefswm@gmail.com

oic.relief.swm@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- सहा./कम्प्यूटर ऑपरेटर 2022-23/1518

दिनांक:-23/3/2022

न्यू रणथम्भौर एजुकेशनल सर्विस सोसायटी
वेंकटेश्वर मन्दिर के पास हम्माल मोहल्ला
शहर सवाई माधोपुर

विषय:- कम्प्यूटर ऑपरेटर विद मशीन उपलब्ध कराने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कम्प्यूटर ऑपरेटर विद मशीन कार्य की निविदा सूचना 1379 दिनांक 11.03.2022 की गई सीमित निविदा में आपकी फर्म की दरें अन्य फर्मों की तुलना में न्यूनतम पाये जाने के फलस्वरूप निविदा में दी गई शर्तों के अध्याधीन निम्नानुसार कम्प्यूटर विद मशीन की दरे स्वीकृत की जाती है।

रेट प्रति यूनिट	EPF RATE 13%	ESI Rate 3.25 per unit	Service charges	instrument Rate per month	Total
8476.00	1102.00	275.00	600.00	1200.00	11653.00

अतः निम्न कार्यालय में 3 दिवस की अवधि में कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (मेन विद मशीन) इस कार्यालय में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे।

क.स	कार्यालय का नाम	लगाये जाने वाले कम्प्यूटर ऑपरेटर की संख्या
1	सहायता अनुभाग, कलेक्ट्रेट कार्यालय स.मा.	1 कम्प्यूटर ऑपरेटर विद मशीन

शर्त :-

- कार्यादेश प्राप्ति के 3 दिवस की अवधि में 3 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स बैंक के प्रभारी अधिकारी सहायता अनुभाग कलेक्ट्रेट स.मा. के नाम जमा कराना होगा।
- निविदा में दी गई शर्तों के उल्लंघन की दशा में नियमानुसार राशि कटौती की जावेगी।
- कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित (ऑपरेटर) का जॉब कार्य दी गई शर्तों के अनुरार होगा। कार्य में लापरवाही, अनुपस्थिति एवं शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या कार्यालय में आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि की जावेगी।
- बिल सम्बन्धित कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा आगामी माह के बिल का ईपीएफ व ईएसआई जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही बिल भुगतान किया जावेगा।
- स्वीकृत दरे 28.02.2023 तक विधि मान्य रहेगी।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)

प्रभारी अधिकारी सहायता एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

कार्यालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

email Id- oicreliefswn@gmail.com

सहायता अनुभाग रूम नं 12 कलेक्टर सभा

क्रमांक:- सहा./कम्प्यू.ओ. 2022/ 2115

दिनांक:-

6.5.2022

श्रीमान् संयुक्त सचिव
आपदा प्रबंधन सहायता एवं
नागरिक सुरक्षा विभाग
राजस्थान जयपुर।

विषय :- कम्प्यूटर ऑपरेटर वीद मशीन के बिलों के भुगतान हेतु बजट आवंटन करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में श्रीमान् द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति एफ.3 आ.प्र.एवं सहा./स्था./2012/3222-26 जयपुर दिनांक 24.02.2022 की पालना में निविदा जारी की जाकर फरवरी 2023 तक कम्प्यूटर ऑपरेटर वीद मशीन लगाया गया है उक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर वीद मशीन के प्रतिमाह 13751 रुपये के अनुसार बिलों के भुगतान हेतु लगभग राशि अंके 154000/- (अक्षरे एक लाख चोवन हजार रुपये) की आवश्यकता है। कृपया उक्तानुसार बजट मद 2245-01-800-03-07 उपमद (29) में बजट आवंटित करने का श्रम करें ताकि कम्प्यूटर ऑपरेटर वीद मशीन के बिलों का भुगतान किया जा सकें।


(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
अति. जिला कलेक्टर एवं
प्रभारी अधिकारी सहायता
सवाई माधोपुर